



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक संदर्भ सं 1/2025

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में - पुलिस थाना के द्वारा- लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

-- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - संतराम मंझवार पिता धीरस मंझवार आयु लगभग 45 वर्ष निवासी सतरेंगा, पुलिस थाना-लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

2 - अनिल कुमार सारथी पिता भरत लाल सारथी 20 वर्ष निवासी सतरेंगा, पुलिस स्टेशन-लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

3 - परदेशी दास पिता बुद्धवर दास ,35 वर्ष निवासी सतरेंगा, पुलिस स्टेशन-लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

4 - आनंद दास पिता होरिदास पनिका 26 वर्ष , निवासी सतरेंगा, पुलिस स्टेशन-लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

5 - अब्दुल जब्बार उर्फ विककी पिता मो इकबाल मेमन , 21 वर्ष, निवासी सतरेंगा, पुलिस स्टेशन-लेमरू, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता/राज्य हेतु :श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

उत्तरवादीगण हेतु :सुश्री शर्मिला सिंघई, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धीरज वानखेड़े तथा श्री चेतन सिंह चौहान, अधिवक्तागण

दाण्डिक अपील सं 357/2025



अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की पिता मोहम्मदइकबाल मेमन, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी सतरेंगा, पुलिस थाना
लेमरु, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना लेमरु के द्वारा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

-- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री धीरज कुमार वानखेड़े, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 574/2025

1 - संतराम मांझवार पिता धीरसाई मांझवार, 45 वर्ष, निवासी सतरेंगा, निवासी पिता लेमरु, जिला कोरबा
(छ.ग.)

2 - अनिल कुमार सारथी पिता भरत लाल सारथी लगभग 20 वर्ष निवासी सतरेंगा, पी. पिता लेमरु, जिला
कोरबा (छ.ग.)

3 - उमाशंकर पिता फेकुराम यादव , 22 वर्ष , निवासी सतरेन्गा, लेमरु, जिला कोरबा (छ.ग.)

4 - परदेशी दास पिता बुद्धवर दास 35 वर्ष निवासी सतरेंगा, पी. पिता लेमरु, जिला कोरबा (छ.ग.)

5 - आनंद दास पिता होरिदास पनिका, 26 वर्ष, निवासी सतरेंगा, पी. पिता लेमरु, जिला कोरबा (छ.ग.)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , पुलिस थाना लेमरु के द्वारा, कोरबा (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : सुश्री शर्मिला सिंघई, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चेतन सिंह चौहान, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।



उत्तरवादी हेतु :श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश

11/06/2025

1. संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 357/2025 और 574/2025 दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) कोरबा, जिला कोरबा द्वारा विशेष मामला (पोक्सो) संख्या 28/2021 में अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित दंड प्रदान करते हुए दिनांक 15.01.2025 को पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश को चुनौती दी गई है, जो एक साथ चलनी थी:

स.क.	धारा के तहत दोषसिद्धि	दंड	जुर्माना	व्यतिक्रम करने पर दंड
अपीलकर्ता-संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, परदेशी दास, आनंद दास तथा अब्दुल जब्बार @विककी				
1	भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 (संक्षेप में, भा.दं. सं.) (तीन मामले)	मृत्यु-दण्ड	---	---
2.	भा.दं. सं. की धारा 120 बी	आजीवन कारावास	रु. 3000/-	3 माह का कठोर कारावास
3	भा.दं. सं. की धारा 148	3 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 1000/-	1 माह का कठोर कारावास
4	376(डीए)/ भा.दं. सं. की धारा	मृत्यु-दण्ड	---	---

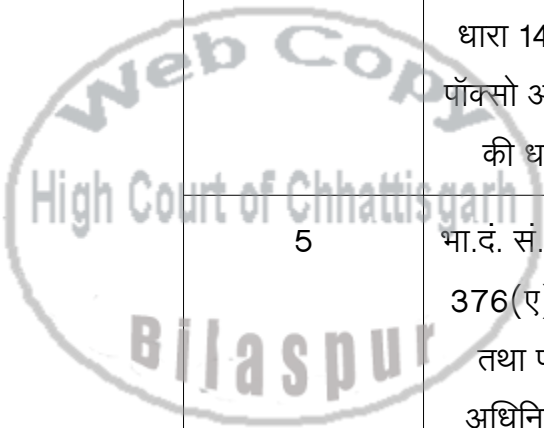


	149 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, पोक्सो अधिनियम) की धारा 6			
5	भा.दं. सं. की धारा 376(ए) /149 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6	मृत्यु-दण्ड	---	---
6	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, अत्याचार अधिनियम) की धारा 3(2)(v)	आजीवन कारावास	रु. 5000/-	6 माह का कठोर कारावास
7	अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1) (डब्ल्यू)	5 वर्ष कठोर कारावास	रु. 5000/-	6 माह कठोर कारावास

स.क.	धारा के तहत	दंड	जुर्माना	व्यतिक्रम करने पर
------	-------------	-----	----------	-------------------



	दोषसिद्धि			दंड
अपीलार्थी-उमाशंकर यादव				
1	भा.दं. सं. की धारा 302/149 (तीन बार)	आजीवन कारावास	रु. 2000/-	3 माह कठोर कारावास
2.	भा.दं. सं. की धारा 120 बी	आजीवन कारावास	रु. 3000/-	3 माह कठोर कारावास
3	भा.दं. सं. की धारा 148	3 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 1000/-	1 माह कठोर कारावास
4	376(डी. ए.)/भा.दं. सं. की धारा 149 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6	आजीवन कारावास जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास	रु. 3000/-	3 महीने का कठोर कारावास
5	भा.दं. सं. की धारा 376(ए) /149 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6	आजीवन कारावास जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास	रु. 3000/-	3 महीने का कठोर कारावास
6	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, अत्याचार अधिनियम) की धारा 3(2)(v)	आजीवन कारावास	रु. 5000/-	6 महीने का कठोर कारावास
7	अत्याचार अधिनियम कि धारा 3(1) (डब्ल्यू)	5 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 3000/-	3 महीने का का कठोर कारावास





2. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नियम एवं आदेश (दाण्डिक) के नियम 273(बी) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, दं. प्र. सं.) की धारा 366 के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत, अपीलकर्ता-संतराम मंझवार, अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की, अनिल सारथी, आनंद दास और परदेशी दास के संबंध में मौत की सजा पारित करने के बाद, पुष्टि के लिए इस न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत की और इस तरह यह मृत्यु संदर्भ अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों के साथ सीआर ए संख्या 357/2025 और 574/2025 के साथ विचार के लिए हमारे समक्ष है।

3. स्वीकृत तथ्य यह हैं कि पीड़िता/मृतक 'बी' जो लगभग 16 वर्ष की नाबालिग थी, मृतक 'ए' की पुत्री थी और मृतक 'सी' लगभग 4 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी और मृतक 'ए' की पोती थी।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में यह है कि मृतक व्यक्ति 'ए', 'बी' और 'सी' अपने पूरे परिवार के साथ अपीलकर्ता-संतराम मंझवार के घर पर रहते थे और उसके मवेशियों को चराते थे। उक्त कार्य करने के एवज में 8,000 रुपये प्रतिवर्ष और 10 किलो चावल प्रति माह देने का समझौता हुआ था, लेकिन संतराम मंझवार ने पूरे वर्ष का बकाया भुगतान नहीं किया और मवेशियों को चराने के लिए मात्र 600 रुपये दिए थे और प्रतिमाह मात्र 10 किलो चावल दिया जाता था। शेष पैसे मांगने पर संतराम मंझवार टालमटोल करता था। दिनांक 29.01.2021 को मृतक 'अ' की शिकायतकर्ता/पत्नी मवेशी चराने का हिसाब-किताब करने अपीलार्थी संतराम के पास गई थी और कहा कि वे अपने घर वापस चले जाएंगे, तब अपीलार्थी-संतराम ने ठीक कहा और 600 रुपये नकद, कुछ दाल, चावल और कपड़े दिए और फिर वे यह कहकर वापस आ गए कि वे अपने घर जा रहे हैं। घटना दिनांक 29.01.2021 को मृतक व्यक्ति अपने गांव जाने के लिए ग्राम सतरेंगा के बस स्टैंड पर थे, जब अपीलकर्ता-संतराम मंझवार ने अपने साथी और अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और बस स्टैंड पर पहुंच गए और मृतक और उनके अन्य उत्तराधिकारियों से कहा कि हम उन्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ देंगे और उन्हें बस में चढ़ने से रोक दिया और उन्हें अपनी मोटरसाइकिलों में ले गए। वह उन्हें कोरई गांव तक अपने साथ ले गया, उसके बाद उसने मृतक 'ए' की पत्नी/परिवादी को मोटरसाइकिल पर आगे भेज दिया लेकिन मृतक 'ए', 'बी' और 'सी' को रोक लिया। अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने रास्ते में रुककर शराब पी और मृतक को भी शराब पिलाई और अभियुक्तों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत साझा उद्देश्य को अंजाम दिया और पीड़िता/मृतक 'बी' को घटनास्थल पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब मृतक 'ए' ने इसका विरोध किया, तो उसे लाठियों और पत्थरों से पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता/मृतक 'ब' पर भी पत्थरों से हमला किया गया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। मृतक 'स' को भी पत्थर पर पटक-पटक कर मार डाला गया था।

5. जब मृतक अपने घर नहीं पहुँचे, तो मृतक 'अ' की परिवादी पत्नी (पीडब्लू-2) ने अपने पुत्र के साथ मिलकर उनकी तलाश की थी। वह पूछताछ के लिए अभियुक्त संतराम के घर भी गई, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर थाने जाकर स्थिति से अवगत कराया। दिनांक 02.02.2021 को मृतक 'अ' के शिकायतकर्ता/पुत्र



(पीडब्लू-1) की सूचना पर मृतक व्यक्तियों के संबंध में प्र.पी-59 के अनुसार गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच की गई। उक्त तिथि को जब पुलिस दल अपीलार्थी-सतराम मंझवार के घर गई तो सभी आरोपी मौजूद पाए गए। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सतराम मंझवार और अब्दुल जब्बार ने बताया कि उन्होंने पीड़िता/मृतक 'ब' के साथ बलात्कार किया था और सभी आरोपियों ने मिलकर मृतक 'अ', 'ब' और 'स' को चोट पहुंचाई और गला घोटकर मार डाला और उन्हें जंगल में फेंक दिया था। पुलिस दल के साथ अभियुक्तगणों द्वारा बताए गए स्थान पर जाने पर मृतक 'अ' और 'ब' मृत अवस्था में पाए गए, जबकि पीड़िता/मृतक 'ब' जीवित थी, किन्तु अचेत अवस्था में थी। इस आशय की सूचना देने पर, मृतक 'अ' के शिकायतकर्ता/पुत्र (पीडब्लू-1) द्वारा दिनांक 02.02.2021 को लेमरु पुलिस थाना में धारा 174 सीआरपीसी के अंतर्गत एक बिना क्रमांकित मर्ग सूचना (एक्स.पी-1) दर्ज की गई। तत्पश्चात, देहाती नालिशी दं. प्र. सं. कि धारा 154 के अंतर्गत शाम 6 बजे एक्स.पी-2 के तहत दर्ज की गई और क्रमांकित एफआईआर (एक्स.पी-64) उसी रात 10:30 बजे पुलिस स्टेशन, लेमरु में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज की गई। मृतक 'ए' और 'सी' के संबंध में दिनांक 02.02.2021 को रात्रि 10 बजे प्र.पी/61 और प्र.पी/62 के माध्यम से क्रमांकित मर्ग भी दर्ज किया गया। अभियुक्तों की पहचान होने पर, मृतक 'ए' और 'सी' के शव दिनांक 02.02.2021 को अपराह्न 13.00 बजे साक्षियों की उपस्थिति में रिकवरी पंचनामा प्र.पी-33 और प्र.पी-34 के माध्यम से बरामद किए गए। मृतक 'अ' और 'स' के संबंध में जांच प्र.पी-29 और प्र.30 के अनुसार तैयार की गई थी। उस समय, पीड़ित/मृतक 'ब' जो जीवित था, को प्र.पी-49 के आवेदन के साथ उपचार के लिए जिला अस्पताल कोरबा भेजा गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पीड़ित/मृतक 'ब' मृत पाया गया। जिला अस्पताल कोरबा के वार्ड बॉय रविन्द्र कुमार राठौर द्वारा भेजी गई सूचना पर, प्र.पी-48 के तहत, पीड़ित/मृतक 'बी' के संबंध में प्र.पी/69 के तहत एक गैर-संख्या मर्ग दर्ज किया गया और जांच (प्र.पी/31) तैयार करने के बाद, मृतक 'ए' और 'सी' के शवों को 02.02.2021 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पीड़ित/मृतक 'सी' के शव को 03.02.2021 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उनकी रिपोर्ट प्र.पी-50, पी-51 और पी-52 के तहत प्राप्त की गई। शव परीक्षण कि जांच के बाद, मृतक के कपड़े, पीड़ित/मृतक 'बी' के अंडर वियर, योनि स्लाइड, जघन बाल को प्र.पी-71 से पी-73 के तहत जब्त किया गया।

6. घटनास्थल पर मृतक 'ए' के शव के पास मिले खून से सना पत्थर, गमछा, खून से सना और सादी मिट्टी, शराब से सना प्लास्टिक और स्टील के गिलास, दो प्लास्टिक की बोतलें जब्ती ज्ञापन प्र.पी. 35 के माध्यम से जब्त की गई। घटना स्थल पर मृतक 'सी' के शव के पास मिले खून से सना पत्थर, खून से सना और सादी मिट्टी को जब्ती ज्ञापन प्र.पी. 36 के माध्यम से जब्त किया गया। घटनास्थल पर मृतक 'बी' के शव के पास मिले खून से सना पत्थर, खून से सना और सादी मिट्टी को प्र.पी. 37 के माध्यम से जब्त किया गया। 03.02.2021 को अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और ज्ञापन बयान एक्स.पी-13 से एक्स.पी-18 दर्ज किए गए और अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह पता चला कि अभियुक्त सतराम और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की ने पीड़िता/मृतक 'बी' के साथ एक के बाद एक जबरदस्ती बलात्कार किया था और यह भी पता चला कि अभियुक्तों ने मृतक 'ए' को डंडे और पत्थर से मारकर मार



डाला, मृतक पीड़िता 'बी' और मृतक 'सी' को उनके सिर पर पत्थरों से मारकर और गला घोटकर मार डाला और उनके शवों को एक गड्ढे में छिपा दिया। अभियुक्त अब्दुल जब्बार बांस का डंडा अपने साथ ले गया, अभियुक्त संतराम मृतक का बैग अपने साथ ले गया, शराब पीने में प्रयुक्त दो स्टील के गिलास, डिस्पोजल गिलास और शराब की बोतल जंगल में ही फेंक दी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को घर ले गया तथा घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़ों को घर ले जाकर छिपा दिया।

7. अभियुक्तगणों के उपरोक्त मेमोरेंडम के आधार पर दिनांक 03.02.2021 को अभियुक्त अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की के पास से उसके घर के बगल से एक नीले रंग की क्रीम रंग की जींस फुल पैंट जिस पर बायीं जांघ के पास और पैर के पास खून जैसे दाग लगे हुए थे, एक बांस का डंडा जिस पर फटी हुई तरफ खून दिखाई दे रहा था तथा घटना दिनांक को पहने हुए नीले रंग के अंडरवियर को जप्ती मेमो प्र.पी-19 के माध्यम से जप्त किया गया। अभियुक्त परदेशी दास के घर के अंदर से पेश होने पर उसके दाहिने कंधे के पास दाग वाली एक नीले रंग की शर्ट जब्ती ज्ञापन प्र.पी-20 के माध्यम से जब्त की गई। अभियुक्त आनंद दास के घर के अंदर से पेश होने पर, जब्ती ज्ञापन के माध्यम से एक हल्के नीले रंग की शर्ट जिसके दाहिने सामने की तरफ दाग था, एक मोटर साइकिल और आरसी बुक प्र.पी.21 जब्त की गई। अभियुक्त अनिल कुमार सारथी द्वारा पेश करने पर, घटना के समय पहनी गई जींस जिसकी जिप के पास खून लगा था और एक काले रंग की टी-शर्ट जिसकी बाईं जेब के पास खून लगा था और घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल की आरसी बुक की फोटोकॉपी प्र.पी-22 के माध्यम से जब्त की गई। अभियुक्त उमाशंकर यादव के प्रस्तुत करने पर एक पुरानी नीली रंग की जींस जिसकी जिप के पास खून जैसा दाग था तथा मोटर साइकिल और उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जब्ती प्रपत्र प्र.पी-23 के अनुसार जब्त की गई। अभियुक्त संतराम द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, मृतक का बैग जिसमें मृतक 'अ' और उसके परिवार के सदस्यों के दैनिक उपयोग के कपड़े, 580 रुपये की नकद राशि और मृतक 'अ' तथा पीड़िता/मृतक 'ब' का आधार कार्ड, घटना के समय अभियुक्त संतराम द्वारा पहनी गई बैंगनी रंग की शर्ट जिसके दाहिने हाथ की कलाई के पास खून जैसा दाग था, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल और आरसी बुक को प्र.पी-24 के अनुसार जब्त कर लिया गया। अभियुक्तों के रक्त के नमूने प्र.पी-92 के अनुसार प्राप्त किए गए। अभियुक्तों को 03.02.2021 को गिरफ्तारी ज्ञापन प्र.पी-38 से प्र.पी-43 के अनुसार गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में सूचना उनके परिवार के सदस्यों को प्र.पी-80 से प्र.पी-85 के अनुसार दी गई। अभियुक्तों की एमएलसी प्र.पी-74 से प्र.पी-49 के अनुसार की गई।

8. अन्वेषण के दौरान दिनांक 06.02.2021 को पीड़िता/मृतक 'बी' से संबंधित दस्तावेज संबंधित स्कूल से जब्त किए गए। दिनांक 06.02.2021 को ही मृतक 'सी' से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र का बच्चों का वजन अभिलेख रजिस्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया और प्र.पी-06 के तहत जब्त किया गया। मर्ग की अन्वेषण के दौरान, घटना स्थल का नक्शा प्र.पी-03 और प्र.पी-04 दिनांक 02.02.2021 के तहत तैयार किया गया। अपराध के अन्वेषण के दौरान, पटवारी ने घटना स्थल का नक्शा प्र.पी-25 के तहत तैयार करवाया। मृतक की जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पुलिस द्वारा दिनांक



02.02.2021 को दिए गए नोटिस पर, मृतक 'ए', 'सी' और उनके पुत्र/परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्र. पी-8, पी-9 और पी-10 के अनुसार जब्त कर लिया गया। दिनांक 09.02.2021 को, अभियुक्तों से जब्त की गई वस्तुओं और घटनास्थल के संबंध में पूछताछ रिपोर्ट प्राप्त की गई और इसके अलावा, जब्त की गई वस्तुओं को क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और इसकी रिपोर्ट प्र. पी-98 के अनुसार प्राप्त की गई। अभियुक्त की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी प्र. पी-99 के अनुसार प्राप्त की गई।

9. अन्वेषण पूरा होने पश्चात्, जब पुलिस ने पाया कि अपीलकर्ताओं/दोषियों के खिलाफ अपराध बनता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने 28.11.2024 को अपीलकर्ताओं/दोषियों के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 120-बी, 302/149 (तीन मामले), भा.दं. सं. की धारा 376-डीए/149 और भा.दं. सं. की धारा 376(ए)/149 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6, धारा 148, अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(वी) और अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप निर्धारित किया। अपीलकर्ताओं/दोषियों ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण हेतु प्रार्थना की।

10. अपराध को स्पष्ट करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 23 साक्षियों से परीक्षा की, जिनमें मृतक 'ए' का बेटा (पीडब्लू-1), मृतक 'ए' की पत्नी (पीडब्लू-2), गणेश सिंह पैकरा (पीडब्लू-3), संतोष कुमार आमो (पीडब्लू-4), तेमपुरम (पीडब्लू-5), कृष्णा कुमारी (पीडब्लू-6), सुकवर साई (पीडब्लू-7), जगताराम (पीडब्लू-8), जयराम दास (पीडब्लू-9), जयशीला शामिल हैं। पैकरा (पीडब्लू-10), राजेंद्र कुमार यादव (पीडब्लू-11), डॉ. सुमित गुप्ता (पीडब्लू-12), विनोद तिवारी (पीडब्लू-13), डॉ. के.बी. सोनकर (पीडब्लू-14), डॉ. मधु आनंद बंजारे (पीडब्लू-15), आजुराम खुशराम (पीडब्लू-16), टंकेश्वर यादव (पीडब्लू-17), कुलदीप सिंह कतलम (पीडब्लू-18), राजेंद्र कुमार खूटे (पीडब्लू-19), डॉ. रविकान्त सिंह राठौड़ (पीडब्लू-20), योगेश साहू (पीडब्लू-21), संजय कुमार रात्रे (पीडब्लू-22) और डॉ. दीक्षा रॉय (पीडब्लू-23) के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए और प्र.सी/1 से सी/4 तक 99 प्रदर्श और चार दस्तावेज प्रदर्शित किया गया।

11. अपीलकर्ताओं/दोषियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अधिकांश प्रश्नों के प्रति अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की और कुछ प्रश्नों से इनकार भी किया। उन्होंने तर्क दिया गया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

12. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता/अभियुक्त को इस निर्णय के आरंभिक पैराग्राफ में दिए गए विवरण के अनुसार दोषी ठहराया। अतः, अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया।

13. अपीलकर्ता संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर, परदेशी दास, आनंद दास की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सिंघई और अपीलकर्ता अब्दुल जब्बार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता



श्री धीरज कुमार वानखेड़े ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों से पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही साबित नहीं होती है। ज्ञापन के साक्ष्य और जब्ती के साक्षी उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हैं। अभियुक्तों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर घटनास्थल से शव बरामद नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस को घटनास्थल पर शव मिलने की जानकारी पहले ही हो गई थी। पीड़िता/मृतक की माँ और भाई के बयानों में काफ़ी विरोधाभास है और शेष गवाह अपने बयानों से मुकर गए हैं। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी नहीं है। शव बरामद होने से ठीक पहले अभियुक्त को मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने का साक्ष्य साबित नहीं हुआ है। अभियुक्त के कपड़ों पर मृतक का खून पाए जाने का कोई सबूत नहीं है और मृतक के कपड़ों पर अभियुक्त का खून पाए जाने का भी कोई सबूत नहीं है। अन्वेषण कार्यवाही दोषपूर्ण है। अपीलकर्ताओं द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और उन्हें संदेह के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

14. सुश्री सिंघई ने आगे दलील दी कि मृतक 'ए' के बेटे (पीडब्लू-1) ने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा है कि केवल अपीलकर्ता-अब्दुल जब्बार और संतराम ने पीड़िता/मृतक 'बी' के साथ बलात्कार किया था, जबकि गणेश सिंह पैकरा (पीडब्लू-3) के अनुसार, अपीलकर्ता-संतराम मंझवार, अब्दुल जब्बार उर्फ विककी, आनंद दास और परदेशी दास थे और इस तरह विरोधाभास है। हालांकि पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं पर खून पाया गया है, फिर भी रक्त समूह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट एक्स. पी-99 के अनुसार, स्टील के गिलास पर केवल अनिल कुमार सारथी के उंगलियों के निशान पाए गए। डीएनए रिपोर्ट (एक्स. सी-4) संदिग्ध है क्योंकि उमाशंकर का डीएनए पीड़िता/मृतक 'बी' के अंतर्वस्त्रों पर पाया गया था, जो यौन संबंध बनाने में असमर्थ था।

15. उपरोक्त तर्क के समर्थन में, सुश्री सिंघई ने मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य {(2023) 2 एससीसी 353}, राहुल बनाम दिल्ली राज्य {(2023) 1 एससीसी 83}, रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य {(2022) 7 एससीसी 581}, लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य {(2022) 15 एससीसी 401}, भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य {(2022) 13 एससीसी 365} और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य {(1980) 2 एससीसी 684} में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

16. अपीलकर्ता अब्दुल जब्बार के विद्वान वकील श्री वानखेड़े ने आगे तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि फॉरेंसिक साक्ष्य की श्रृंखला सहित प्रत्येक श्रृंखला पूरी हो। वर्तमान मामले में, निस्संदेह, वर्तमान अभियुक्तों से जिन वस्तुओं को ज़ब्त करने का दावा किया गया था, उनकी कोई सकारात्मक रिपोर्ट नहीं है, और दूसरी बात, सीरोलॉजी रिपोर्ट में पाया गया कि अभियुक्तों के कपड़ों पर खून नहीं पाया गया था। वर्तमान मामले में, पुलिस के अनुसार, अपीलकर्ता ने पुलिस के समक्ष कथित स्वीकारोक्ति का आरोप लगाया है जो निस्संदेह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 के तहत अस्वीकार्य है, खासकर इसलिए क्योंकि यह पुलिस हिरासत में दिया गया था।



यदि ऐसा बयान दिया भी गया है, तो भी उसकी पुष्टि निर्विवाद स्वतंत्र साक्ष्य से होनी चाहिए, जो वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दिया गया दंड विधिवत गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्तों के ज्ञापन बयान के मात्र अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सभी ज्ञापन बयान अपनी विषय-वस्तु के संबंध में बहुत समान हैं। पुलिस ने खुले क्षेत्र से डंडा और पत्थर जब्त किया है और यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने विश्वसनीय रूप से यह कथन नहीं दिया कि उपरोक्त हथियारों की खोज से उस स्थान के स्पष्ट स्थान की पुष्टि होती है, इसलिए, वर्तमान मामले में हथियार की बरामदगी भी संदिग्ध है और अपीलकर्ता की केवल हथियार की खोज के आधार पर की गई दोषसिद्धि मान्य योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त- अब्दुल जब्बार से वस्तुओं की बरामदगी पर आक्षेपित निर्णय के कंडिका संख्या 124 और 131 में चर्चा की। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त अब्दुल जब्बार से एक्स. पी-19 पर वस्तुओं की जब्ती की पुष्टि करने वाला एकमात्र साक्षी गणेश सिंह पैकरा (पीडब्लू-3) है, जिसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया मुख्य परीक्षा के समय भौतिक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने बरामदगी के बारे में तभी बताया जब लोक अभियोजक ने उनसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के तहत बरामदगी के संबंध में प्रमुख प्रश्न पूछे। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान निचली अदालत के समक्ष स्वतंत्र गवाह और पुलिस द्वारा साक्ष्य जब्त करने को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी अविश्वसनीय है क्योंकि साक्षी पीडब्लू-3 स्वयं तथ्य नहीं बता सका। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय को पीडब्लू-3 से प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि पीडब्लू-3 के बयान न तो परिचात्मक थे और न ही निर्विवाद थे और पहले से ही पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हुए थे।

17. श्री वानखेड़े ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने कंडिका संख्या 76 में कहा है कि पीडब्लू-2 (मृतक की पत्नी) ने बयान दिया था कि उसने अभियुक्त अब्दुल जब्बार को पीड़ितों के साथ बाइक पर जाते देखा था। घटना दिनांक के प्रारंभिक चरण से, अपीलकर्ता ने लगातार यह कहा है कि वह घटना के समय सह-अभियुक्त के साथ नहीं था, लेकिन पुलिस ने पुलिस हिरासत में एक ज्ञापन दर्ज किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता घटना के समय सह-आरोपियों के साथ मौजूद सदस्यों में से एक था। विद्वान विचारण न्यायालय ने कंडिका संख्या 76 में कहा कि अभियोक्ता-2 (मृतक की पत्नी) ने गवाही दी कि उसने अपराध घटित होने से पहले अभियुक्त अब्दुल जब्बार को पीड़ितों के साथ बाइक पर जाते देखा था। विद्वान विचारण न्यायालय ने कंडिका संख्या 80 में आगे कहा कि अभियोक्ता-2 की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि अभियोक्ता-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अभियुक्तों को नहीं पहचानती है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अभियोजक को पीडब्लू-2 से कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जिसे विपक्षी पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में पूछा जा सकता है। मूलतः, अभियोक्ता-2 ने अभियुक्त अब्दुल जब्बार के पीड़ितों के साथ होने के बारे में तभी खुलासा किया जब लोक अभियोजक ने उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। अतः अभियोक्ता-2 का साक्ष्य स्वतंत्र और विश्वसनीय नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अंत में, वह यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि यह



न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता अपराध का दोषी है, तो उस स्थिति में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की दंड बहुत कठोर है और वर्तमान मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए, यह माननीय न्यायालय सजा के भाग को संशोधित कर सकता है।

18. अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की कोई श्रृंखला पूरी तरह से अपूर्ण है और अपीलकर्ता के अनुसार दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है। अभियोजन पक्ष श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को इस तरह से स्थापित करने में विफल रहा कि स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता दोषी हो और अन्य सभी परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, किसी भी कानूनी अनुमान के आधार के रूप में आरोपित तथ्यों को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और तथ्यात्मक संभावना से जुड़े उचित संदेह से परे होना चाहिए। सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो विधिक जवाबदेही का अनुमान लगाता है। सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का हो, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो मामले की प्रकृति को स्वीकार करता हो। दोष के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए। यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह दोषमुक्त होने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद संख्या 70 में विद्वान विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य तथ्य निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त अब्दुल जब्बार का नाम परिस्थिति संख्या (i), (iii), (v), (vi), (viii), (xi), (xiv), और (xv) में नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, श्री वानखेड़े ने सर्वोच्च न्यायालय के **बचन सिंह (सुप्रा)** और उसके बाद के निर्णयों, जिनमें **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य {(1983) 3 एससीसी 470}** और **मनोज (सुप्रा)** शामिल हैं, का उल्लेख किया है।

19. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की आयु, आपराधिक पृष्ठभूमि का अभाव और सुधार की संभावना जैसे कम करने वाले कारकों की अनदेखी की है। मृत्युदंड को एक अपवाद कहा जाता है, आदर्श नहीं, और इसे केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से समाप्त हो गया हो। यह निर्विवाद है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष या मौखिक साक्ष्य नहीं है। अंत में, अपीलकर्ताओं/दोषियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अपराध अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया है, तो भी वर्तमान मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई मृत्युदंड के दंड में हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

20. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराकर और दंड सुनाकर कोई गलती नहीं की है, जैसा कि पहले कंडिका में विस्तार से बताया गया है।



अपीलकर्ताओं ने तीन व्यक्तियों, मृतक 'ए', मृतक 'बी' और मृतक 'सी' की हत्या की है, जिनमें से मृतक 'बी' लगभग 16 वर्ष की नाबालिग थी और मृतक 'सी' लगभग 4 वर्ष की बालिका थी। मृतक 'बी' की न केवल हत्या की गई, बल्कि उसकी मृत्यु से पहले उसकी नृशंस हत्या भी की गई। अपीलकर्ताओं ने चार वर्ष की बच्ची को भी नहीं बख्शा, जिसे पत्थर पर पटक-पटक कर मार डाला गया। साक्षियों के बयान तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अपीलकर्ताओं ने ही यह अपराध किया था और उन्हें मृत्युदंड दिया जाना उचित ही है। विद्वान विचारण करने वाले न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तथा इस प्रकार, संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दोनों आपराधिक अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

21. इसमें कोई विवाद नहीं है कि मृतक 'ए', 'बी' और 'सी' की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मृत्यु हत्यात्मक की थी। पीड़ित/मृतक 'बी' के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटों का उल्लेख है:

- बाएँ कान के ऊपरी भाग, बाएँ टेम्पोरल क्षेत्र पर 1=5 इंच, b=2 ½ इंच ऊपरी भाग और 1 ½ इंच निचली भाग x 0.5 सेमी गहराई का कटा हुआ घाव।
- दाएँ आँख के पार्श्व भाग पर दाएँ गाल पर 5 सेमी x 1 सेमी आकार का खरोंच का निशान, काले रंग का और दाएँ कान के निचले भाग पर 1 x 1 सेमी का खरोंच और दाएँ भों के पार्श्व भाग के ठीक ऊपर 1 x 0.5 सेमी का खरोंच का निशान।
- दोनों आँखों के आसपास और बाएँ कान के सामने बाएँ गाल पर काले रंग का मलिनकिरण मौजूद था।
- मुँह के बाएँ कोने से बाएँ कान तक सूखा खून बह रहा है और बाएँ नाक से सूखा खून बह रहा है।
- दाएँ हाथ के सामने, कोहनी पर 1 x 1 सेमी, 3 x 1 सेमी, 3 x 2 सेमी आकार के कई खरोंच मौजूद हैं।
- दाएँ हाथ की हथेली में 2 x 0.5 x 0.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव मौजूद है।
- दाएँ पैरिटो टेम्पोरल ओसीसीपिटल क्षेत्र में व्यापक स्कैल्प हेमेटोमा मौजूद है और बाएँ टेम्पोरल पैरिएटल क्षेत्र में 8 x 6 सेमी आकार का स्कैल्प हेमेटोमा मौजूद है।

खोपड़ी की हड्डी अक्षुण्ण है। बाएँ टेम्पोरल-पार्श्विका क्षेत्र में 10 x 8 सेमी आकार का सबड्यूरल हेमेटोमा मौजूद है और दाएँ पैरिटो-टेम्पोरल क्षेत्र में 15 x 10 सेमी आकार का सबड्यूरल हेमेटोमा मौजूद है। मस्तिष्क का पदार्थ पीला है। मृतक/पीड़िता के गुप्तांग की जाँच करने पर, भगोष्ठ (लेबिया मेजोरा) काफी अलग-अलग पाए गए, योनि द्वार 2.5 सेमी x 2.5 सेमी खुला हुआ था और योनिद्वार की झिल्ली फटी हुई पाई गई। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक अर्थात् डॉ. के.बी. सोनकर (पीडब्लू-14) ने बताया कि मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोटें थीं और मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 24-36 घंटे पहले का था। उन्होंने आगे देखा कि यौन अंगों में यौन हमले के संकेत मौजूद थे तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।



22. मृतक 'ए' की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

- नाक से कान तक रक्तस्राव।
- पश्चकपाल क्षेत्र के मध्य भाग में सूजन और कटा हुआ घाव।

माप 5x5 सेमी खोपड़ी में फ्रैक्चर, मस्तिष्क सामग्री का टूटना और बड़ा रक्तगुल्म मौजूद है। कठोर और कुंद वस्तु के कारण जो घातक प्रकृति का है। डॉ. मधु आनंद बंजारे (पी डब्लू -15) ने मृत्यु का कारण घायल हिस्से से भारी रक्तस्राव के कारण सदमा बताया और यह हत्या जैसा प्रतीत होता है और मृत्यु की अवधि शव परीक्षण से लगभग 2-3 दिन पहले की थी।

23. मृतक 'C' के पोस्टमार्टम परीक्षण में, डॉ. मधु आनंद बंजारे (पी डब्लू 015) ने पाया कि चेहरे पर दाहिने गाल पर कान के अंदर से मुंह के कोण तक फैला हुआ एक कटा हुआ घाव है। चोट के कुछ हिस्से में थक्का जमा हुआ खून मौजूद है, माप 11x6 सेमी है और दाहिनी मैक्सिलरी हड्डी में फ्रैक्चर है जो कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुआ है जो घातक प्रकृति का है। मृत्यु का कारण घायल भाग से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमा माना गया और यह हत्या का मामला प्रतीत हुआ।

24. विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. के.बी.सोनकर (पीडब्लू-14) और डॉ. मधु आनंद बंजारे (पीडब्लू-15) के बयान पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। वैसे भी, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक विवाद नहीं किया गया है। हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

25. जहां तक पीड़िता/मृतक 'बी' की आयु का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय ने भी दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् प्रवेश/डिस्चार्ज रजिस्टर (एक्स. पी-46 सी) के आधार पर इसे सिद्ध पाया है, जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 11.04.2005 थी और उसने उस स्कूल की कक्षा 1 में प्रवेश लिया था। उक्त दस्तावेज के आधार पर, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा अन्यथा चुनौती भी नहीं दी गई है, घटना की तिथि अर्थात् 29.01.2021 को पीड़िता की आयु 15 वर्ष 9 महीने और 18 दिन थी। अतः, यह भी एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। इस प्रकार, घटना की तिथि पर पीड़िता नाबालिग थी।

26. जहाँ तक मृतक की जाति का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतक पहाड़ी कोरवा जाति से संबंधित था जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी है, जो कि प्र.पी-8, पी-9 और पी-10 से स्पष्ट है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य का खंडन भी नहीं किया गया है।



अपीलकर्ता और मृतक एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और इस प्रकार, यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि अपीलकर्ता मृतक व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति/जाति से परिचित नहीं थे।

27. बलात्कार के संबंध में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रमाणपत्र-50) में, डॉ. के.बी.सोनकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था क्योंकि उसकी योनिच्छद फटी हुई थी और लेबिया मेजोरा काफी अलग-अलग पाए गए थे। सभी अपीलकर्ताओं की एमएलसी की गई, जिसमें अपीलकर्ताओं और उनके संबंध में रिपोर्ट प्रमाणपत्र-74, 76 से पी-79 तक है, जिसमें डॉ. आर.एस.राठौर (पीडब्लू-20) ने उन्हें यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया है। एकमात्र अपीलकर्ता जो संभोग करने में असमर्थ पाया गया, वह उमाशंकर यादव था क्योंकि दो साल पहले लिंग के दर्दनाक विच्छेदन का इतिहास था और लिंग के स्थान पर केवल एक छोटा सा छिद्र मौजूद था और उमाशंकर यादव के संबंध में, डॉक्टर ने राय दी थी कि वह संभोग करने में असमर्थ था।

28. अपीलकर्ताओं द्वारा उनके ज्ञापन (एक्स.पी-13 से पी-18) में किया गया खुलासा अभियोजन पक्ष की कहानी से मेल खाता है और खुलासे के आधार पर, अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य पाए गए हैं। अपीलकर्ता अब्दुल जब्बार से एक फुल पैंट, बांस की छड़ी, अंडरवियर जब्त किया गया, अपीलकर्ता-परदेशी दास से, नीले रंग की शर्ट, अपीलकर्ता-आनंद दास से, एक हल्के नीले रंग की शर्ट, मोटरसाइकिल, उक्त बाइक का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अपीलकर्ता-अनिल कुमार सारथी से, एक काली जींस, एक काली टी-शर्ट और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, अपीलकर्ता उमाशंकर से, एक नीली जींस, एक मोटरसाइकिल, पंजीकरण प्रमाण पत्र जब्त किया गया, और अपीलकर्ता-संतराम मंझवार से, मृतक के सामान से भरा एक बैग, अर्थात् कपड़े, आधार कार्ड और 580 रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा, रथराम राठौर और गणेश सिंह पैकरा (पीडब्लू-3) की उपस्थिति में उनकी अपनी टी-शर्ट, मोटरसाइकिल, पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिया गया।

29. एफएसएल रिपोर्ट (एक्स. पी-98) में कहा गया है कि विभिन्न वस्तुओं पर खून पाया गया था। ए-पत्थर, बी-पत्थर, सी-मिट्टी, ई-पत्थर, एफ-पत्थर, जी-पत्थर, एच-मिट्टी, जे-मिट्टी, घटना स्थल से जब्त, एल 1-लेगिंग, एल 2-फ्रॉक, एल 3-चुनरी, एल 4-शॉल (पीड़ित/मृतक-बी का), एम-जैकेट, एन-टी.शर्ट, ओ-हाफ पैंट (मृतक ए का), पी-शर्ट (मृतक सी का), आर-शर्ट संतराम का, एस-जींस पैंट, टी-टी.शर्ट अपीलार्थी-अनिल का, यू-शर्ट अपीलार्थी परदेशी का, वी-शर्ट अपीलार्थी आनंद का, डब्ल्यू-जींस फुल पैंट, एक्स-अपीलार्थी-अब्दुल जब्बार से जब्त डंडा, जेड-अपीलार्थी-उमाशंकर का जींस पैंट और -घटना स्थल से जब्त गमछा, तथा वस्तु ए, बी, ई, एफ, जी, एच, जे, एल 1, एल 2, एल 3, एल 4 पर मानव रक्त पाया गया है। एम, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड और डी। इसके अलावा, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की राय के अनुसार, घटनास्थल से जब्त किए गए स्टील के गिलास पर अपीलकर्ता-अनिल सारथी का फिंगर प्रिंट पाया गया है। जहाँ तक डीएनए रिपोर्ट का संबंध है, प्रदर्श जी (515/21), एच (152/21), आई (153/21) और जे (154/21), जो पीड़िता/मृतक 'बी' के अंतर्वस्त्र, नाखूनों में पाए गए बाल, स्लाइड और



जघन बाल से संबंधित हैं, का मिश्रित डीएनए प्रोफाइल प्राप्त किया गया है और अपीलकर्ता-संतराम मंझवार का डीएनए पीड़िता/मृतक 'बी' के अंतर्वस्त्र में पाया गया है, जो उक्त मृतका के साथ बलात्कार किए जाने का निर्णायक प्रमाण है।

30. पीड़िता/मृतक 'बी' की माँ (पीडब्लू-1) के बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-संतराम पीड़िता/मृतक 'बी' से विवाह करना चाहता था, लेकिन पीड़िता/मृतक 'बी' कभी भी संतराम से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः, बलात्कार और उसके बाद हत्या का उद्देश्य सिद्ध हो गया है।

31. विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 70 के माध्यम से बहुत ही सही ढंग से टिप्पणी की है और उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है जिनसे यह पता चलता है कि अपीलकर्ता ही विचाराधीन अपराध के रचयिता हैं। मृतक अपीलकर्ता-संतराम के घर पर काम कर रहे थे, जब मृतक 'अ' और उसकी पत्नी अपने घर जाना चाहते थे, तो अपीलकर्ता-संतराम और उमाशंकर उनके साथ आए और अन्य सह-अभियुक्त भी दो मोटरसाइकिलों पर आए और उन्हें अंततः अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया। जब मृतक लापता हो गए, तो मृतक 'अ' की पत्नी अपीलकर्ता-संतराम के घर गई, जहाँ उसका आचरण संदिग्ध पाया गया। मृतक 'ए' की पत्नी और मृतक 'बी' की माँ, पीडब्लू-1 ने मृतक 'ए', 'बी' और 'सी' की गुमशुदगी की रिपोर्ट विधिवत दर्ज कराई थी। डॉक्टरों ने तीनों मृतकों की मृत्यु को हत्या की प्रकृति का पाया है, और अपीलकर्ता-उमाशंकर को छोड़कर, अन्य सभी अपीलकर्ता यौन संबंध बनाने में सक्षम पाए गए। मृतक 'ए' और 'सी' का शव अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर बरामद किया गया और पीड़ित/मृतक 'बी' घटनास्थल से बेहोशी की हालत में मिला। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के ज्ञापन से पता चला है कि अपीलकर्ताओं से आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर ली गई है और चोटों की प्रकृति जब्त किए गए पत्थरों और डंडे से होने की संभावना है। जब्त की गई वस्तुओं पर मानव रक्त भी पाया गया है, शराब पीने के लिए इस्तेमाल किए गए स्टील के गिलास पर अपीलकर्ता-अनिल सारथी के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, डीएनए रिपोर्ट में भी अपीलकर्ता-संतराम मंझवार द्वारा बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई है।

32. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दृश्य और चिकित्सीय साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, हमें मौखिक, चिकित्सीय और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन में या निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं के अपराध के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई अवैधता नहीं दिखती जिसके लिए इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और तदनुसार हम अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 (तीन मामले), भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 148, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डीए)/149 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)/149 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(वी) और अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू) के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।



33. अब, प्रश्न यह है कि क्या यह मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है और अपीलकर्ताओं को दी गई मृत्युदंड का दंड उचित है।

34. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि या मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) के अनुसार ऐसी सजा देने के लिए विशेष कारण और मृत्युदंड देने का विशेष कारण बताना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:

“धारा 354 (3):जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास या कुछ वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हो, तो निर्णय में दिया गया दंड के कारण और मृत्युदंड के दंड के मामले में, ऐसे दंड के विशेष कारण बताए जाएंगे।”

35. सीआरपीसी की धारा 354(3) की भाषा विधायी चिंता और उन शर्तों को दर्शाती है जिन्हें मृत्युदंड लागू करने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। 'मृत्युदंड के मामले में, ऐसी सजा के लिए विशेष कारण' ये शब्द स्पष्ट रूप से विधायिका के आदेश को दर्शाते हैं कि मृत्युदंड की सजा देने के लिए ऐसे कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए, अर्थात् न्यायालय को यह मानना आवश्यक है कि यह दुर्लभतम मामला है, जिसके लिए केवल मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए।

36. माची सिंह बनाम पंजाब राज्य {(1983) 3 एससीसी 470} में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“I. हत्या का तरीका।

33. जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, घृणित या नृशंस तरीके से की जाती है जिससे समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए,

(i) जब पीड़ित के घर में आग लगा दी जाती है ताकि उसे घर में ही ज़िंदा जला दिया जाए,
(ii) जब पीड़ित को मौत के घाट उतारने के लिए उस पर अमानवीय अत्याचार या क्रूरता की जाती है,

(iii) जब पीड़ित के शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाता है या उसके शरीर को राक्षसी तरीके से क्षत-विक्षत कर दिया जाता है।

II. हत्या का उद्देश्य।

34. जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य से की जाती है जो पूर्णतः भ्रष्टा और नीचता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब (क) कोई भाड़े का हत्यारा धन या इनाम के लिए हत्या करता है (ख) कोई निर्मम हत्या जानबूझकर संपत्ति हड़पने या किसी वार्ड या हत्यारे के नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति या जिसके प्रति



हत्यारा प्रभुत्वशाली या विश्वासपात्र हो, की संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए की जाती है।

(ग) कोई हत्या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए की जाती है।

III. अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति।

35.(क) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक रोष उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, जब ऐसा अपराध ऐसे व्यक्तियों को आतंकित करने और उन्हें किसी स्थान से भागने के लिए डराने या उन्हें वंचित करने या उन्हें अतीत के अन्याय को दूर करने और सामाजिक संतुलन बहाल करने के उद्देश्य से किया जाता है।

(ख) "दुल्हन को जलाने" और "दहेज-हत्या" के रूप में जाने जाने वाले मामलों में, या जब दहेज वसूलने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण किसी अन्य महिला से विवाह करने के लिए हत्या की जाती है।

IV. अपराध का परिमाण।

36. जब अपराध का अनुपात बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए, जब एक परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में लोगों की कई हत्याएँ की जाती हैं।

V. हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व:

37. जब हत्या का शिकार (क) एक मासूम बच्चा हो जो हत्या के लिए कोई बहाना भी नहीं बना सका या नहीं दे पाया, या उकसाना तो दूर की बात है, (ख) एक असहाय महिला या वृद्धावस्था या दुर्बलता के कारण असहाय व्यक्ति हो, (ग) एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर हत्यारा प्रभुत्व या विश्वास की स्थिति में हो, (घ) एक सार्वजनिक व्यक्ति हो जिसे समुदाय द्वारा उसकी सेवाओं के लिए आम तौर पर प्यार और सम्मान दिया जाता हो और हत्या व्यक्तिगत कारणों के अलावा राजनीतिक या इसी तरह के अन्य कारणों से की जाती है।"

37. रावजी बनाम राजस्थान राज्य {(1996) 2 एससीसी 175} में, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल अपराध से संबंधित विशेषताएँ ही दंड के लिए प्रासंगिक हैं, न कि अपराधी से। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"24.....ये अपराध बिना किसी उकसावे के, अत्यंत क्रूरता और बर्बरता के साथ, सोची-समझी रणनीति के तहत किए गए थे। किसी दायंडिक वाद में उचित दंड पर विचार करने के लिए अपराधी की नहीं, बल्कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी ऐसे अपराध के लिए उचित दंड नहीं दिया जाता है जो न केवल पीड़ित के विरुद्ध, बल्कि उस समाज के विरुद्ध भी किया गया हो जिससे अपराधी और पीड़ित संबंधित हैं, तो न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल होगा। किसी अपराध के लिए दी जाने वाली दंड असंगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह उस क्रूरता और क्रूरता के अनुरूप और सुसंगत होनी चाहिए जिसके साथ अपराध किया गया है, अपराध की भयावहता सार्वजनिक घृणा का कारण बननी चाहिए और उसे "अपराधी के विरुद्ध न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए।"



38. स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य {(2008) 13 एससीसी767} में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

"आपराधिक न्याय प्रणाली की सभी बड़े अपराधों से समान रूप से प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थता और न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव, अंतिम परिणामों में स्पष्ट असंतुलन का कारण बनता है। एक ओर, ऐसे मामलों का एक छोटा समूह है जिनमें हत्या के दोषी को इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होने पर फाँसी पर लटका दिया जाता है, और दूसरी ओर, ऐसे मामलों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ समान या कहीं अधिक घृणित प्रकार की हत्या करने वाले अपराधी को न्यायालय द्वारा दंड देने में एकरूपता की कमी के कारण जीवन बख्श दिया जाता है या इससे भी बदतर, आपराधिक न्याय प्रणाली की कमियों के कारण अपराधी को बिना दंड दिए बच निकलने दिया जाता है।"

39. राज कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य {(2014) 5 एससीसी 353} में, जो 14 वर्ष की लड़की के बलात्कार और हत्या से संबंधित मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को बिना किसी छूट के न्यूनतम 35 वर्ष जेल में बिताने का निर्देश दिया था।

40. सेल्वम बनाम राज्य {(2014) 12 एससीसी 274} में, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार से संबंधित एक मामले में बिना किसी छूट के 30 वर्ष के कारावास का दंड पारित किया गया।

41. टट्टू लोधी बनाम मध्य प्रदेश राज्य {(2016) 9 एससीसी 675} मामले में, जहाँ अभियुक्त को 7 वर्ष की नाबालिग लड़की की हत्या का दोषी पाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड पारित किया गया था तथा यह निर्देश दिया था कि अभियुक्त को कारावास की अवधि पूरी होने तक जेल से रिहा न किया जाए।

42. सचिन कुमार सिंघराहा बनाम मध्य प्रदेश राज्य {(2019) 8 एससीसी 371} मामले में, जहाँ अभियुक्त को 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड का दंड पारित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने दंड को बिना किसी छूट के 25 वर्ष के आजीवन कारावास में बदल दिया और यह टिप्पणी की:

"आजीवन कारावास एक नियम है, जिसका मृत्युदंड अपवाद है। मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अनुचित दंड प्रतीत हो।"

43. सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 612/2019, दिनांक 19.04.2022 को निर्णीत) मामले में 4 वर्षीय बालिका के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड के दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है। उपरोक्त आदेश दिनांक 19.04.2022 का कंडिका-43 इस प्रकार है:



“43. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड के दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना उचित समझते हैं। चूंकि, अपराध की गंभीरता और गम्भीरता को देखते हुए, मामले के तथ्यों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए भी लागू होती है, इसलिए अपीलकर्ता को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा देना एक उचित सजा होती। हालाँकि, हमें ऑस्कर वाइल्ड की यह बात याद आती है – “संत और पापी में एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है।” इस न्यायालय द्वारा वर्षों से विकसित पुनर्स्थापनात्मक न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक यह भी है कि अपराधी को हुई क्षति की भरपाई करने और जेल से रिहा होने पर एक सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बनने का अवसर दिया जाए। अपराधी की विकृत मानसिकता को सुधारने के लिए निर्धारित अधिकतम दंड हमेशा निर्णायक कारक नहीं हो सकता है। अतः, प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के संतुलन को बनाए रखते हुए, हम अपीलकर्ता-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए के अंतर्गत अपराध के लिए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास के बजाय बीस वर्ष की अवधि के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं। भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि की जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दी गई सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।”

44. हाल ही में, मनोज (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह (सुप्रा) से शुरू होने वाले बिंदु पर संपूर्ण न्यायदंड कानूनों की समीक्षा करते हुए अनुच्छेद 204 में निम्नलिखित निर्णय दिया: “237. सामान्यतः, अपराध को कम करने वाले कारक, किए गए अपराध को उचित ठहराने या उसे वैध ठहराने के बजाय, अपराधी के आसपास की परिस्थितियों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास के बीच निर्णय ले सके। संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची, जिसे सबसे पहले बचन सिंह में ही मान्यता दी गई थी:

“206.....अपराध को कम करने वाली परिस्थितियाँ।

—उपर्युक्त मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा:

- (1) यह कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।
- (2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त युवा या वृद्ध है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।
- (3) यह संभावना कि अभियुक्त हिंसा के ऐसे आपराधिक कृत्य नहीं करेगा जो समाज के लिए निरंतर खतरा पैदा करते हों



(4) यह संभावना कि अभियुक्त को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है।

राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

(6) अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में कार्य किया।

(7) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से विकृत था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता को समझने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया था।"

ये शायद ही संपूर्ण हैं; बाद में, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कम उम्र 1, सामाजिक-आर्थिक स्थिति 2, मानसिक बीमारी 3, आपराधिक पूर्ववृत्त 4 जैसे आधारों पर सजा के प्रश्नों पर सुसंगत संकेतकों के रूप में आजीवन कारावास में परिवर्तन को मान्यता दी है और उस पर विचार किया है। इनमें से कई कारक अभियुक्तों के सुधार की स्पष्ट क्षमता या केवल संभावना को दर्शाते हैं (अर्थात् बचन सिंह सूची के (3) और (4)), जो उन्हें सजा सुनाए जाने के समय महत्वपूर्ण संकेतक बनाते हैं।"

45. उनके माननीय न्यायाधीशों ने दंड से पहले सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया – अभियुक्त के बारे में सामग्री उपलब्ध कराने का अवसर और दायित्व तथा अनुच्छेद 246 और 247 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया: ---

"246. हालाँकि, यह भी बहुत कम है, बहुत देर से आया है और केवल दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त की परिस्थितियों की एक झलक प्रदान करता है। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि परीक्षण स्तर पर अच्छी तरह से प्रलेखित कम करने वाली परिस्थितियों के अभाव में, गंभीर परिस्थितियाँ कहीं अधिक बाध्यकारी या भारी लगती हैं, जिससे दंड देने वाले न्यायालय बचन सिंह परीक्षण के अधूरे और इसलिए गलत अनुप्रयोग के आधार पर मृत्युदंड लगाने के लिए प्रवृत्त होती है।

247. सुधार का लक्ष्य आदर्श है, और समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए – दशकों से इस न्यायालय के न्यायशास्त्र में इसके कई संदर्भ मौजूद हैं – लेकिन जिस चीज़ का अभाव है, वह है एक ठोस ढाँचा जो इसे माप और मूल्यांकन कर सकता है। दुर्भाग्य से, यह सार्थक प्रकार के जेल सुधारों को लागू करने में विफलता से परिलक्षित होता है, जिसने सामान्य रूप से कारावास और जेलों की प्रक्रिया को व्यवस्थित सुधार के लिए सीमित क्षमता वाला क्षेत्र बना दिया है। सुधारात्मक दंड के लक्ष्य के लिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म नीति निर्माण के परिणामस्वरूप सुधार और पुनर्वास को सक्रिय रूप से सक्षम बनाती हों। इन विषम परिणामों को ठीक करने और अभियुक्तों के सुधार की संभावना (आचरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के अस्पष्ट संदर्भों से परे) के बेहतर मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए एक छोटे से कदम के रूप में, यह न्यायालय न्यायालयों के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक समझता है, जिन्हें वे तब तक अपनाएँ और लागू करें जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका कानून के माध्यम से एक सुसंगत ढाँचा तैयार



न कर लें। ये दिशानिर्देश मार्गदर्शन या विचार भी प्रदान कर सकते हैं, जिनसे ऐसे विधायी ढांचे को लाभ हो सकता है, ताकि परिस्थितियों को कम करने के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र की जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके।"

इसके बाद, उनके माननीय न्यायाधीशों ने अपराध को कम करने वाली परिस्थितियों को एकत्रित करने के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश जारी किए और कंडिका 248 से 252 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"248. यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि अपराध की क्रूरता के प्रति प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए, सुनवाई के चरण में अपराध को कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाए, जैसा कि अपीलीय चरण तक पहुँचने वाले अधिकांश मामलों में स्पष्ट रूप से होता है।

249. ऐसा करने के लिए, विचारण न्यायालय को अभियुक्त और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी होगी। राज्य को – मृत्युदंड वाले अपराध के लिए – उचित चरण में, सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के मनोवैज्ञानिक और मानसिक मूल्यांकन का खुलासा करते हुए, पहले से एकत्रित की गई सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे अपराध करते समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति (या मानसिक बीमारी, यदि कोई हो) से निकटता (समय-सीमा के संदर्भ में) स्थापित करने में मदद मिलेगी और बचन सिंह मामले में बताए गए (1), (5), (6) और (7) को कम करने वाले कारकों पर मार्गदर्शन मिलेगा।

(3) और (4) के अन्य कारकों के लिए भी – जिसका दायित्व पूरी तरह से राज्य पर है – अपराध घटित होने के तुरंत बाद इस प्रकार का मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने से अपीलीय न्यायालयों को तुलना के लिए एक आधार रेखा मिलेगी, अर्थात् कारावास अवधि के दौरान अभियुक्त के सुधार की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए।

250. इसके बाद, राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी होगी। एक सचित्र, परंतु विस्तृत सूची इस प्रकार है:

(क) आयु

ख) प्रारंभिक पारिवारिक पृष्ठभूमि (भाई-बहन, माता-पिता का संरक्षण, हिंसा या उपेक्षा का कोई इतिहास)

ग) वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि (जीवित परिवार के सदस्य, चाहे विवाहित हों, बच्चे हों, आदि)

घ) शिक्षा का प्रकार और स्तर

ङ) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि (गरीबी या अभाव की स्थिति सहित, यदि कोई हो)

च) आपराधिक पृष्ठभूमि (अपराध का विवरण और क्या दोषी ठहराया गया है, क्या सज़ा काटी गई है, यदि कोई हो)



छ) आय और रोज़गार का प्रकार (क्या कोई नहीं है, या अस्थायी या स्थायी आदि);
ज) अन्य कारक जैसे अस्थिर सामाजिक व्यवहार का इतिहास, या मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी, व्यक्ति का अलगाव (कारण सहित, यदि कोई हो) आदि। यह जानकारी अनिवार्य रूप से सजा सुनाने के चरण में विचारण न्यायालय को उपलब्ध होनी चाहिए। अभियुक्त को भी, सभी कम करने वाली परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए, खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

251. अंत में, अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, किए गए कार्य (यदि कोई हो), अभियुक्त द्वारा की गई गतिविधियों और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में जानकारी संबंधित जेल प्राधिकारियों (अर्थात्, परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए। यदि अपील की सुनवाई विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, या उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि, जैसा भी मामला हो, के लंबे अंतराल के बाद की जाती है – तो जेल अधिकारियों से एक नई रिपोर्ट (पिछली अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई रिपोर्ट के बजाय) की सिफारिश की जाती है, ताकि बीते समय में अभियुक्त द्वारा की गई समकालीन प्रगति की अधिक सटीक और पूरी समझ हो सके। जेल अधिकारियों को एक नई मनोरोग और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी शामिल करनी चाहिए जो सुधारात्मक प्रगति को और प्रमाणित करेगी, और दोषसिद्धि के बाद की मानसिक बीमारी, यदि कोई हो, का खुलासा करेगी।

252. यह बताना उचित है कि इस न्यायालय ने अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 5 में वास्तव में आपराधिक न्यायालयों को अतिरिक्त सामग्री मांगने का निर्देश दिया है:

"33....कई बार, सज़ा तय करते समय, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेती हैं कि अभियुक्त समाज के लिए खतरा होगा और उसके सुधार व पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जबकि इन कारकों का पता लगाना अदालत का कर्तव्य है और राज्य अभियुक्त के सुधार व पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी मामले में न्यायालय जिन तथ्यों पर विचार करती हैं, वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इसके लिए अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि दंड न्यायालय, दोषसिद्धि के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जैसे अपराधों पर विचार करते समय, उपयुक्त मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट माँग सकते हैं कि अभियुक्त का सुधार किया जा सकता है या उसका पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।" हम एतद्द्वारा पूर्णतः समर्थन करते हैं और निर्देश देते हैं कि इसे समान रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, उन अपराधों के लिए जिनमें मृत्युदंड की संभावना है।"

46. मनोज (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त व्यावहारिक दिशानिर्देशों के आलोक में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोषी/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है और उन्हें मृत्युदंड सुनाया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषी/अपीलकर्ताओं के सुधार और पुनर्वास की



संभावना पर विचार नहीं किया है और केवल अपराध और जिस तरह से यह किया गया था, उस पर विचार किया है और अपीलकर्ताओं को दंड के प्रश्न पर सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दोषी/अपीलकर्ताओं का सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता, जेल में उनके आचरण के बारे में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई और दोषी/अपीलकर्ताओं को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा कोई जेल अपराध नहीं किया गया है, हालाँकि अपीलकर्ताओं ने तीन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का अपराध किया है, जिनमें से एक लगभग 16 वर्ष की नाबालिग लड़की थी और दूसरी लगभग 4 वर्ष की नाबालिग लड़की थी। 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ उसकी हत्या से पहले क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था, जो बर्बर, अमानवीय, जघन्य और अत्यंत क्रूर है। हत्या पत्थरों से सिर कुचलकर अत्यंत क्रूर तरीके से की गई है। ये सभी परिस्थितियाँ अपराध सिद्ध करती हैं, लेकिन अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दोषी/अपीलकर्ताओं का सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं दर्शाई गई है।

47. यद्यपि यह समग्र समाज के लिए आघातकारी है, फिर भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलकर्ताओं की आयु को ध्यान में रखते हुए और गहन विचार-विमर्श के बाद, हमारा विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युदंड की कठोर सजा उचित नहीं है। हमारा मानना है कि यह 'दुर्लभतम से भी दुर्लभतम मामला' नहीं है जिसमें मृत्युदंड की बड़ी सजा की पुष्टि की जानी आवश्यक हो। हमारे विचार से, आजीवन कारावास पूरी तरह से पर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तदनुसार, हम मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास का दंड अपीलकर्ताओं के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास तक बढ़ाई जानी चाहिए।

48. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं – संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, परदेशी दास, आनंद दास और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की – को मृत्युदंड की पुष्टि के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कोरबा द्वारा प्रस्तुत आपराधिक संदर्भ संख्या 01/2025 को अस्वीकार किया जाता है। 49. अपीलकर्ता अबुल जब्बार उर्फ विक्की द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 357/2025 और अपीलकर्ता संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, परदेशी दास और आनंद दास द्वारा दायर सीआर ए संख्या 574/2025 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ताओं – संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, परदेशी दास, आनंद दास और अब्दुल जब्बार की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 (तीन मामले), भारतीय दंड संहिता की 120 बी, भारतीय दंड संहिता की 148, भारतीय दंड संहिता की 376(डीए)/149 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)/149 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6, अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(वी) और



अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू) के तहत दर्ज की गई है, हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 (तीन मामले), भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डीए)/149 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)/149 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि आजीवन कारावास की सजा अपीलकर्ताओं के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक बढ़ाई जानी चाहिए।

50. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता उमाशंकर यादव को दी गई दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार, दण्डिक अपील संख्या 574/2025, जहां तक यह अपीलकर्ता-उमाशंकर यादव से संबंधित है, खारिज की जाती है।

51. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की विधिवत सत्यापित प्रति संबंधित सत्र न्यायालय को भेजें, जैसा कि दं. प्र. सं. की धारा 371 के तहत आवश्यक कार्यवाही के लिए अनिवार्य है। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजें, जहां अपीलकर्ता अपनी-अपनी जेल की सजा काट रहे हैं, ताकि अपीलकर्ताओं को इसकी प्रति दी जा सके और उन्हें सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

सही /-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

हेड नोट ---

मृत्युदंड के दंड देने वाले अपराध के प्रकार का सख्त वर्गीकरण करने के बजाय, न्यायालय को गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा मामले दर मामले के आधार पर व्यक्तिगत दंड के परिणाम पर पहुंचना चाहिए।